STATE OF NORTH CAROLINA
BOARD OF REVIEW

सन्दर्भ में :

उच्च प्राधिकरण निर्णय संख्या

ध्यान दें:

दावेदार

नियोक्ता

<u>मामले का विवरण</u>:

दावेदार ने बेरोजगारी बीमा लाभों के लिए न्यू इनिशियल क्लेम (एनआईसी) दायर किया है जो ___________से प्रभावी है| इसके बाद, डिवीज़न ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट सिक्यूरिटी ("डिवीजन") ने निर्धारित किया कि दावेदार की देय साप्ताहिक लाभ राशि $___________थी और दावेदार द्वारा स्थापित लाभ वर्ष के दौरान, दावेदार के लिए देय बेरोजगारी बीमा लाभों की अधिकतम राशि $ _________थी|

पिछले नियोक्ता से अलगाव के मुद्दे पर दावे को निर्णायक के पास भेजा गया| डॉकेट संख्या ____________ के तहत _________ तारीख को न्याय निर्णायक ने निर्णयादेश द्वारा निर्धारण जारी किया, यह पता लगाने के लिए कि दावेदार लाभ प्राप्त करने के लिए (अयोग्य है) (अयोग्य नहीं है) (पात्र है) (पात्र नहीं है)| (दावेदार) (नियोक्ता) ने निर्धारण से एक अपील दायर की और मामले की अपील रेफरी (नाम) द्वारा अपील डॉकेट संख्या _________ के तहत सुनवाई हुई| अपील रेफरी के समक्ष निम्न लोग सुनवाई के लिए उपस्थित हुए: _______________________| अपील रेफरी ने N.C. Gen. Stat. §96-14(c) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए दावेदार (अयोग्य है) (अयोग्य नहीं है) (पात्र है) (पात्र नहीं है) यह पता लगाने के लिए ______________ तारीख को निर्णय जारी किया| **(दावेदार) (नियोक्ता) ने अपील की है|**

<u>तथ्यों की खोज</u>:

1. दावेदार ने __________ से ___________ तक की अवधि के लिए बेरोजगारी बीमा लाभों के दावों को नियमित रूप से दायर किया है| दावेदार ने डिवीज़न के साथ काम के लिए पंजीकरण किया है, डिवीज़न द्वारा अनुरोध के अनुसार एक रोजगार कार्यालय को रिपोर्ट करना जारी रखा है, और N.C. Gen. Stat. §96-15(a) के अनुसार लाभ प्राप्त करने के लिए दावा किया है|

North Carolina का रोजगार सुरक्षा कानून यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे सप्ताह के दौरान काम नहीं कर सकता है जिसके लिए वह किसी अन्य राज्य या संघीय कानून के तहत अपने अस्थायी पूर्ण या स्थायी पूर्ण विकलांगता के आधार पर लाभ प्राप्त कर रहा हो या इसके लिए आवेदन किया हो।

N.C. Gen.Stat. §96-14.9(c).

<u>कानून के निष्कर्ष</u>:

निम्न हस्ताक्षरकर्ता ने योग्य और विस्वसनीय सबूतों और तथ्यों से यह निष्कर्ष निकाला है कि:

पूर्ववर्ती केआधार पर, अपील रेफरी केनिर्णय में (पुष्टि/बदलाव/संशोधन) होना चाहिए| इसकेअलावा, दावेदार को बेरोजगारी बीमा लाभ प्राप्त करने के लिए (पात्र) (अपात्र) समझा जाना चाहिए।

<u>निर्णय</u>:

अपील रेफरी के निर्णय की **(पुष्टि)(बदलाव)(संशोधन)** हुआ है|

________ को समाप्त होनेवाले सप्ताह केबेरोजगारी बीमा लाभों को प्राप्त करने केलिए दावेदार **पात्र है|**

(________ को समापत होनेवाले सपताह केबेरोजगारी बीमा लाभों को परापत करने केलिए दावेदार **पातर नहीं है|)**

बोडर ऑफ़ रिवयु के सदसय FrSusan Doer John Doeने इस अपील में भाग लिया और इस निणरय से सहमत हैं|

यह है

बोर्ड ऑफ़ रिव्यु

____

चेयरमैन

उचच परा धकरण निणरय सं या चार मी से पष तीन

नोट: यह उचच पराधिकरण का निणरय मेल भेजने के तीस (30) दिनों में अंतिम हो जाएगा, जब तक की नीचे दिए गए अनुसार, एक नयायिक समीक्षा की याचिका उचचतम नयायालय में दायर ना की गई हो| मेल भेजने की तारीख इस निणरय के अंतिम पृषठ पर मिलेगी| हालांकि बोडर कानूनी सलाह परदान नहीं करता, कृमया उचच पराधिकरण निणरय को अपील करने के लिए अतिरिकत मागरदशरन के लिए संलगन पुसितका देखें| यह पुसितका पूरे राजय के सावरजनिक रोजगार कायारलयों में और रोजगार सुरक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलबध है| आप रोजगार सुरक्षा विभाग की www.des.nc.gov वेबसाइट पर *फरीकवेंटली आस्कड कवेशचनस* सेकशन को भी देख सकते हैं और अपनी पसंद के वकील से परामशर कर सकते हैं|

नयायिक समीक्षा के लिए अपील अधिकार

इस उचच पराधिकरण निणरय की अपील उचच नयायालय के कलकर के साथ याचिकाकतार द्वारा उस काउंटी में दायर की जानी चाहिए जहाँ वह रहता या रहती है, या जहाँ याचिकाकतार का परमुख वयवसाय सथान है| यदि पक्ष North Carolina की किसी भी काउंटी में नहीं रहता/रहती या किसी भी काउंटी में परमुख वयवसाय नहीं है, तो अपील को Wake County, North Carolina के उचच नयायालय के कलकर के साथ दायर किया जाना चाहिए *या* North Carolina की उस काउंटी के उचच नयायालय के कलकर के साथ दायर की जानी चाहिए जहाँ विवाद हुआ था|

उचच पराधिकरण निणरय मेल करने के तीस (30) दिनों के बाद अंतिम हो जाएगा, यदि तब तक N.C. Gen. Stat. §§ 96-15(h) और (i) के अनुसार नयायिक समीक्षा के लिए उचच नयायलय में समय पर कोई याचिका दायर ना की जाए|

नयायिक समीक्षा के लिए उचच नयायालय के कलकर के साथ दायर की गई किसी भी याचिका की परतियों को रोजगार सुरक्षा विभाग ("डिवीज़न") और रिकॉडर के अनय सभी पक्षों पर कायरवाही के लिए याचिका दायर करने के दस (10) दिनों के भीतर परदान की जानी चाहिए| याचिका की परतियाँ वयिकतगत सेवा से या परमाणीकृत मेल से वापसी की रसीद के अनुरोध के साथ परदान की जानी चाहिए| उचच नयायालय की समीक्षा की याचिका पर काम किया जाना चाहिए और डिवीज़न की परकिरया के लिए रिजसटडर एजेंट को संबोधित किया जाना चाहिए:

A. John Q Lawyer
Chief Counsel
North Carolina Department of Commerce
Division of Employment Security
Mailing Address: Post Office Box 25903, Raleigh, NC 27611-5903
Physical Address: 700 Wade Avenue, Raleigh, NC 27605-1154

नोट: यदि आपको किसी अन्य पक्ष द्वारा न्यायिक समीक्षा के लिए याचिका प्रदान की जाती है, आप न्यायिक समीक्षा की कार्यवाही के लिए एक पक्ष के रूप में नहीं होंगे, जब तक कि आप : (1) उच्च न्यायालय को याचिका प्राप्त होने के दस (10) दिनों के भीतर सूचित नहीं करते कि आप कार्यवाही के लिए एक पक्ष बनाना चाहते हैं, या (2) N.C. Gen. Stat. § 1A-1, नियम 24 में प्रदान किये गए अनुसार हस्तक्षेप के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करते|

सभी इच्छुक पक्षों के लिए सूचना

04 N.C. एडमिन. कोड 24A .0105(a)(32) में परिभाषित एक कानूनी परतिनिधि (नियोकता के बेरोजगारी बीमा परशासक के रूप में सेवा करने वाली तृतीय पक्ष कंमनी के वयकितयों सहित) एक लाइसेंस

परापत वकीलमहततवपूणर –िनमनलिखित पृषठ देख

या N.C. Gen. Stat. Ch. 84 और § 96-17(b) के अनुसार लाइसेंस परापत वकील द्वारा निरीक्षित वयकित हो| वकील के निरिक्षण की सूचनाएँ और/या परमाणीकरण 04 N.C. एडमिन. कोड 24C .0504 के अनुसार लिखित में हों| **नयायिक कायरवाही में कानूनी परतिनिधितव को N.C. Gen. Stat. Ch. 84 का पालन करना चाहिए|**

04 N.C. एडमिन. कोड 24C .0504 के अनुसार, जब किसी पक्ष के पास कानूनी परतिनिधि होता है, तो पक्ष को परदान किये जाने वाले सभी दसतावेज और सूचनाएँ केवल परतिनिधि को भेजे जाएँगे| पक्ष के कानूनी परतिनिधि को परदान की गई कोई भी जानकारी उतनी ही महततवपूणर और परभावी होगी जितनी की पक्ष को भेजने के बाद।

जून 30, 2013 को या उसके बाद दायर किये गए दावों के लिए, दावेदार किसी भी परशासनिक या नयायिक निणरय से परापत लाभों के पुनभुरगतान के अधीन हैं जो बाद में अपील करने पर वापस मिल जाएगा। N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2)

दावेदारों के लिए विशेष सूचना: यदि आप अंतनिरहित दावे के संबंध में पहले से बेरोजगारी बीमा लाभ परापत कर रहे हैं या पहले परापत कर चुके हैं और इस उचच पराधिकरण निणरय ने आपको पूरी तरह से या कुछ अंश तक इस लाभ को परापत करने के लिए अपातर या अयोगय घोषित कर दिया, तो अब आपको N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2) के अनुसार लाभ का अधिक भुगतान किया जा सकता है| यदि यह अधिक भुगतान इस उचच पराधिकरण द्वारा घोषित किया जाता है, तो आपको डिवीज़न के लाभ समगरता/ लाभ भुगतान नियंतरण विभाग से अधिक भुगतान की अलग सूचना या अतिरिकत भुगतान का निधाररण भेज दिया जाएगा| यह अधिक भुगतान की सूचना या अतिरिकत भुगतान के निधाररण, अनय बातों के अलावा, आपके अधिक भुगतान की राशि और कोई अनय लागू जुमारने को निदिर्ष्ट करेगा| कृपया नोट करें कि अधिक भुगतान से परतिवाद करने का एकमातर तरीका है, ऊपर दिए गए अनुसार, और North Carolina कानून के अनुसार, सुपीरियर नयायालय में इस उचच पराधिकरण निणरय की नयायिक समीक्षा के लिए एक याचिका दायर करना| आपकी याचिका में, आपको यह निदिरषट करना होगा कि आप अपील किस मुद्दे के लिए कर रहे हैं (1) अपातरता या योगयता के मुद्दे के लिए और/या (2) परिणामी निधाररण के लिए, जो आपको अतिरिकत भुगतान के लिए मिला है|

अपील दायर करने की तारीख: निर्णय मेल करने की तारीख: